"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6] रायपुर, सोमवार, दिनांक 11 जनवरी 2010—पौष 21, शक 1931

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 11 जनवरी, 2010 पौष 21, 1931

क्रमांक -489/विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2010 (क्रमांक 1 सन् 2010) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 1 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2010

वित्तीय वर्ष 2009-2010 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2010 है.

वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिये राज्य की संचित निधि में से 13,39,51,29,800 रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग एक हजार तीन सौ उनतालीस करोड़, इक्यावन लाख उनतीस हजार, आठ सौ रुपया होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिये, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत् वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान दिये जाने होंगे और उपयोजित की जा सकेंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
..	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	राजस्व	0	20,72,74,000	20,72,74,000
..	भारित विनियोग-लोक ऋण	पूंजी	0	100	100
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	10,38,74,000	81,55,000	11,20,29,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय.	राजस्व	1,52,00,000	0	1,52,00,000
03	पुलिस	राजस्व	6,00,00,400	0	6,00,00,400
05	जेल	राजस्व	8,39,70,000	0	8,39,70,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,23,26,45,100	0	1,23,26,45,100

(1)	(2)		(3)		
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	6,28,38,100	0	6,28,38,100
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	7,36,90,300	0	7,36,90,300
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	20,57,000	0	20,57,000
10	वन	राजस्व	15,34,00,000	0	15,34,00,000
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	10,88,38,000	0	10,88,38,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	43,64,000	0	43,64,000
13	कृषि	राजस्व	12,69,69,000	2,00,000	12,71,69,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	31,19,90,000	0	31,19,90,000
16	मछली पालन	राजस्व	2,92,64,000	0	2,92,64,000
17	सहकारिता	राजस्व	2,43,51,000	0	2,43,51,000
18	श्रम	राजस्व	25,00,000	0	25,00,000
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	23,65,50,000	0	23,65,50,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	23,58,91,000	0	23,58,91,000
		पूंजी	15,00,00,000	0	15,00,00,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	100	0	100
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय.	राजस्व	4,17,000	0	4,17,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	15,34,50,000	0	15,34,50,000
		पूंजी	0	8,00,00,000	8,00,00,000
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	85,76,000	0	85,76,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	41,66,000	0	41,66,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	1,52,16,70,000	0	1,52,16,70,000
		पूंजी	42,50,000	0	42,50,000

(1)	(2)		(3)		
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	0	26,00,000	26,00,000
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	14,81,87,000	0	14,81,87,000
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	68,40,000	0	68,40,000
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	6,70,10,000	0	6,70,10,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	1,15,66,50,000	0	1,15,66,50,000
34	समाज कल्याण	राजस्व	30,27,000	0	30,27,000
35	पुनर्वास	राजस्व	3,33,000	0	3,33,000
36	परिवहन	राजस्व	100	0	100
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,06,10,62,000	0	2,06,10,62,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	1,27,11,37,200	0	1,27,11,37,200
		पूंजी	13,83,79,300	0	13,83,79,300
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	2,00,00,000	0	2,00,00,000
		पूंजी	2,57,00,000	0	2,57,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	47,00,00,000	0	47,00,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	राजस्व	4,47,10,000	0	4,47,10,000
		पूंजी	300	0	300
46	विज्ञान और टेक्नालाजी	राजस्व	14,00,000	0	14,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	1,20,60,000	0	1,20,60,000
		पूंजी	9,00,00,200	0	9,00,00,200
49	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	47,80,000	0	47,80,000
54.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,25,00,000	0	5,25,00,000
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय	राजस्व	200	0	200
57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनायें.	पूंजी	10,70,40,000	0	10,70,40,000

(1)	(2)		(3)		
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	37,55,99,100	0	37,55,99,100
		पूंजी	100	0	100
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	15,26,80,000	0	15,26,80,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	23,08,09,000	0	23,08,09,000
		पूंजी	200	0	200
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	9,94,60,000	0	9,94,60,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	98,79,00,000	0	98,79,00,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	35,20,00,000	11,25,00,000	46,45,00,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	39,42,15,000	0	39,42,15,000
	योग	**राजस्व**	**12,46,90,30,500**	**33,07,29,000**	**12,79,97,59,500**
		पूंजी	**51,53,70,200**	**8,00,00,100**	**59,53,70,300**
	वृहद योग		**12,98,44,00,700**	**41,07,29,100**	**13,39,51,29,800**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित उसके अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
तारीख : 05 जनवरी, 2010

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा,
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.